108

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2735-एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 21/7/15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 480/अपील/13-14.

1- बुरहान उद्दीन पुत्र साबिर अली
निवासी सिंरोज जिला विदिशा म0प्र0
हाल मुकाम नूरमहल भोपाल म0प्र0
2- सादिक अली पुत्र मो0 हुसैन
निवासी सिंरोज जिला विदिशा म0प्र0
3- युसुफ अली पुत्र मोहम्मद हुसैन
निवासी सोफिया कॉलेज बेलदार पुरा भोपाल
4- हसल अली पुत्र मो. हुसैन
निवासी सिंरोज जिला विदिशा म0प्र0 ----- आवेदकगण

विरूद्ध

1- पप्पू पुत्र राजाराम शर्मा
2- श्रीराम पुत्र राजाराम शर्मा
नि0 ग्राम गंगाखेडी तहसील सिंरोज
जिला विदिशा
3- धमेन्द्र पुत्र रघुवीर शर्मा
नि0 मधूसूदनगढ़ तहसील लटेरी, विदिशा
4- कल्याण सिंह पुत्र राजाराम शर्मा
5- श्रीबाई पुत्री राजाराम शर्मा
6- राममूर्ति पुत्री राजाराम शर्मा
7- शोभाराम पुत्र रघुवीर शर्मा
8- विनीता बाई पुत्री रघुवीर शर्मा,
9- सविताबाई पुत्री रघुवीर शर्मा
10- शीलाबाई पुत्री रघुवीर शर्मा
11- श्रीमती केशरबाई पत्नि रघुवीर शर्मा
निवासी ग्राम गंगाखेडी तहसील सिंरोज
जिला विदिशा म0प्र0 ----- अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री अनोज गुप्ता ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गिरी ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 18-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 480/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 21-7-2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों के पूर्वजों ने अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 16-10-82 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए ग्राम गंगाखेड़ी तहसील सिंरोज स्थित प्रश्नाधीन भूमि खाता क्रमांक 4 के संबंध में अतिरिक्त जिला जज विदिशा के न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 12-अ/1071 में पारित आदेश दिनांक 8-12-71 के अनुसार 1/3 भाग अंकित करने के आदेश दिए जाने का अनुरोध किया । अनुविभागीय अधिकारी न उक्त आवेदन नायब तहसीलदार, सिंरोज को भेजा जिस पर से नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 2/अ-6/1982-1983 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 4-7-1986 के द्वारा अनावेदकों के पूर्वज स्व. श्री सीताराम, श्री राजाराम एवं श्री रघुवीर के पक्ष में वादित भूमि के 1/3 भाग पर नाम अंकित करने के आदेश दिये ।

नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो प्रकरण क्रमांक 106/अपील/1985-86 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 18-11-1986 द्वारा अस्वीकार की गई । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों के पूर्वजों ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 28-2-1990 द्वारा स्वीकार की एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को वापिस किया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश

द्वारा पारित आदेश जिसमें आवेदकगण (जो कि भू-अभिलेखों में भूमिस्वामी अभिलिखित हैं और जिनको पक्षकार बनाए बिना दीवानी न्यायालय से डिक्री पारित की गई है, वह उनके लिए अवैध है) तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में आज की स्थिति में जो भी आवेदक हों उन्हें तद्नुसार आवेदन पत्र में प्रतिस्थापित कर तथा सभी हितबद्व पक्षकारों को सूचना देकर आवेदन पत्र का संहिता की धारा 110 के तहत निराकरण किया जाये ।

अपर आयुक्त द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 28-2-1990 के बाद विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में वर्ष 2011 में अर्थात 22 वर्ष बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई । अनावेदकों द्वारा दिनांक 14-3-11 को आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर तहसीलदार द्वाराप0क0 40/अ-6/10-11 पंजीबद्व किया जाकर पुनः कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं आदेश दिनांक 29-4-13 द्वारा अनावेदकों का नामांतरण स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्व आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम एवं द्वितीय अपील क्रमशः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने निरस्त की हैं ।

4/ प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस पेश की गई है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28-2-1990 को प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि - तहसील न्यायालय में प्रस्तुत नामांतरण के आवेदन पत्र तथा आज की स्थिति में जो भी आवेदक हों, उन्हें तद्नुसार आवेदनपत्र में प्रतिस्थापित कर तथा सभी हितबद्व पक्षकारों को आवेदन पत्र का संहिता की धारा 110 के अंतर्गत निराकरण किया जाये । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपर आयुक्त के उपरोक्त आदेश के 22 वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं वर्ष 2011 में कार्यवाही प्रारंभ करते हुए जो आदेश पारित किया गया है जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालयों ने की है । विचारण न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपर आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रकरण में कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही उभयपक्षों द्वारा उठाए गए वैधानिक बिंदुओं पर विचार किया गया है । जहां तक सिविल न्यायालय के निर्णय

के आधार पर कार्यवाही का प्रश्न है वह अपने स्थान पर सही है कि राजस्व न्यायालयों को सिविल न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए । किंतु वर्तमान प्रकरण में स्थिति भिन्न है । क्योंकि अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8-12-1971 के बाद अनावेदकों के पूर्वज सीताराम, राजाराम एवं रघुवीर ने न्यायालय तहसील सिंरोज में बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर से तहसील में प्रकरण क्रमांक 1/73-74/अ-27 पंजीबद्व होकर उसमें राजीनामा प्रस्तुत हुआ तथा उक्त प्रकरण दिनांक 30-11-1973 को समाप्त हो गया । उक्त आदेश की कोई अपील/निगरानी या पुनरावलोकन पेश नहीं किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा 30-11-1973 के आदेश का उल्लेख तो अपने आदेश में किया है किंतु उसे इस आधार पर मानने से इंकार किया है कि प्रार्थनापत्र में दर्शित राजीनामा की पुष्टि साक्ष्यों से नहीं कराई गई है इसी प्रकार प्रकरण क्रमांक 1/अ-6/73-74 के संबंध में यह कहा है कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित विक्रयपत्र के आधार पर ताहिर अली, जोहरबाई, हसैनबाई ने नामांतरण आवेदन पेश किया दिनांक 1-9-73 को । इस प्रकरण में दिनांक 3-11-73 को सीताराम, राजाराम, रघुवीर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर आदेश दिनांक 5-12-73 को नामांतरण आदेश पारित किया । प्रकरण में भी नियत तारीखों में सीताराम, राजाराम, रघुवीर की उपस्थिति दर्ज नहीं है । किंतु उक्त निष्कर्ष उन्होंने किस आधार पर निकाले हैं, इसका कोई उल्लेख उनके आदेश में नहीं है जबकि आवेदकों द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों से संबंधित आवेदनपत्र एवं आदेशों की प्रमाणित प्रतियां पेश की थीं जिन पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है । तहसीलदार द्वारा वर्ष 1973 में पारित आदेशों से संबंधित प्रकरणों का अवलोकन किए बिना विपर्यस्त निष्कर्ष निकालना ना तो औचित्यपूर्ण है और ना ही न्यायिक । इस प्रकार यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा सही कार्यवाही नहीं की गई है तहसील न्यायालय का यह कर्त्तव्य था कि वे अपर आयुक्त द्वारा रिमाण्ड आदेश दिनाक 28-2-90 में दिए गए निर्देशों के साथ उभयपक्षों द्वारा उठाये ये वैधानिक बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए विधि के प्रावधानों एवं उनके समक्ष प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों के आधार पर उचित निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है । अतः प्रकरण की समग्र

परिस्थितियों पर विचार के उपरांत यह पाया जाता है इस प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वे स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आदेश में वर्णित उपरोक्त वैधानिक बिंदुओं को ध्यान में रखकर उभयपक्षों को अपना पक्ष रखने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिवत आदेश पारित करें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर